रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082020-220865
CG-DL-E-05082020-220865

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306]	**नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2020/ श्रावण 14, 1942**
No. 306]	**NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2020/SRAVANA 14, 1942**

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2020

सं. 125

सं.ईपी-36(1)2017.—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37वां) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1971 में संशोधन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :-

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा आरंभ:

(i) ये विनियम, भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 कहलाएंगे।

(ii) ये सरकारी गजट में अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा: इन विनियमों में शब्दों की परिभाषा और उनका अर्थ तथा पदों के पदनाम का अर्थ वही होगा जैसाकि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 तथा भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1971 में दिया गया है।

3. भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम 1971, विनियम 43 (iii), 43 (v) और 46 में निम्नानुसार संशोधन किए गए हैं:-

विनियम 43 (iii)

किसी भी अन्य मामले में, यदि उपहार का मूल्य निम्न राशि से अधिक हो तो कार्मिक, निगम की मंजूरी के बिना कोई उपहार स्वीकृत नहीं करेगा:

(क) श्रेणी- I अथवा श्रेणी- II के किसी भी पद पर धारित कार्मिक के मामले में रु.5000/-

(ख) श्रेणी- III तथा श्रेणी- IV के किसी भी पद पर धारित कार्मिक के मामले में रु.2000/-

विनियम 43 (v)

उपरोक्त उप-विनियमों (ii) और (iii) में निहित होने के बावजूद, निगम का कार्मिक भारतीय प्रतिनिधि मंडल का सदस्य होते हुए अथवा विदेशी अंशदान (उपहार तथा भेंट की स्वीकृति अथवा रखना) नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार विदेशी उच्च पदाधिकारियों से उपहार ले सकता है तथा रख सकता है।

विनियमन - 46 -

(i) कोई भी कार्मिक किसी स्टॉक, शेयर अथवा निवेश में अटकल(स्पेक्युलेट) नहीं लगाएगा।

प्रावधान है कि इस उप-नियम में कुछ भी स्टॉक ब्रोकरों अथवा विधिवत रूप से अधिकृत और लाइसेंसशुदा अथवा जिन्होंने संबंधित कानूनों के तहत पंजीकरण का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है, के माध्यम से किए गए यदा-कदा निवेशों पर लागू नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: अक्सर खरीद अथवा बिक्री अथवा दोनों के शेयरों, प्रतिभूतियों अथवा अन्य निवेश को इस उप-नियम के अर्थ के अनुसार माना जाएगा ।

सीमा कक्कड़, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./165/2020-21]

टिप्पणी: मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 08.05.1971 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे तथा तदनुरूप अंतिम बार निम्न के माध्यम से संशोधित किये गए ।

क्र .सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	भा॰ खा॰ नि॰,(कर्मचारीवृन्द) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019	03.09.2019
2.	भा॰ खा॰ नि॰,(कर्मचारीवृन्द) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019	06.01.2020
3.	भा॰ खा॰ नि॰, (कर्मचारीवृन्द) (पहला संशोधन) विनियम, 2020	23.06.2020

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2020

No. 125

No. EP-36(1)2017.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations further to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely:-

1. Short Title and Commencement:

(i) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (Second Amendment) Regulations, 2020.

(ii) These shall come into force from the date of Notification in the Official Gazette.

2. Definitions: The definition and meaning of the words and designation of posts in these Regulations shall have the same meaning as contained in the Food Corporations Act, 1964 and the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971.

3. In FCI (Staff) Regulations 1971, Regulations 43(iii), 43(v) and 46 may be amended as under:-

Regulation 43 (iii)

In any other case, an employee shall not accept any gift without sanction of the Corporation if the value thereof exceeds:

(a) Rs.5,000/- in case of an employee holding any Category-I or Category-II posts;

(b) Rs.2,000/- in case of an employee holding any Category-III or Category-IV posts.

Regulation 43 (v)

Notwithstanding anything contained in Sub-Regulations (ii) & (iii) above, a Corporation employee being a member of Indian delegation or otherwise, may receive and retain gifts from foreign dignitaries in accordance with the provisions of the Foreign Contribution (Acceptance or Retention of Gifts or Presentations) Rules, 2012, as amended from time to time.

Regulation – 46 –

(i) No employee shall speculate in any stock, share or other investment.

Provided that nothing in this sub-regulation shall apply to occasional investments made through stock brokers or other persons duly authorized and licensed or who have obtained a certificate of registration under the relevant laws.

Explanation: Frequent purchase or sale or both of shares, securities or other investment shall be deemed to be speculation within the meaning of this sub-regulation.

SEEMA KAKAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./165/2020-21]

Note:- The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide Notification dated 8.5.1971 and subsequently have been amended being lastly vide:-

SL. No	Title	Dated
1	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2019	03.09.2019
2	FCI (Staff) (3rd Amendment) Regulations, 2019	06.01.2020
3	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2020	23.06.2020

Loaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM